न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 07/2024 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–2031)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1. भूपेन्द्र पुत्र श्री परमानन्द सिंधी खाद्यकारोबारकर्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स बाबा रामदेव मिष्ठान भण्डार, वार्ड नं. 06 तहसील रोड़, विजयनगर, जिला अनूपगढ़।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(II) 54 **FSSA Act 2006**

निर्णय

दिनांकः– 25.10.24

यह इस्तगासा **श्री हेतराम** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(II) व **धारा 51**, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है:– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हेतराम** दिनांक 03.10.2023 को समय दोपहर **2:00 बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **बाबा रामदेव मिष्ठान भण्डार, वार्ड नं. 06 तहसील रोड़, विजयनगर, जिला अनूपगढ़** पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री परमानन्द सिंधी (विक्रेता) को** अपना परिचय देकर दुकान के काउन्टर फ्रीज में रखी मिठाईयों के साथ स्टील ट्रे में रखी **पेडा मिठाई** के बारे में जानकारी चाही। अप्रार्थी **भूपेन्द्र पुत्र परमानन्द सिन्धी** ने स्वयं को दुकान का मालिक व विक्रेता बताया तथा दुकान के काउन्टर फ्रीज में रखी **पेडा मिठाई लगभग 05** किलो को आमजन में बेचान वास्ते बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **पेडा मिठाई(खुला) 02** किलोग्राम साफ– सुथरी स्टील ट्रे में विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **पेडा मिठाई(खुला)** का नगद भुगतान 640/– रूपए किया तथा केशमीमों बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता श्री भूपेन्द्र, गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक व विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री परमानन्द सिंधी (विक्रेता)** एव गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म सं 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री परमानन्द सिंधी(विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पेडा मिठाई(खुला) 02 किलोग्राम** को बराबर भागों में बांटकर साफ–सुथरे सूखे चार डिब्बों में भरकर प्रत्येक डिब्बें में परिरक्षक फॉर्मेलिन की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को एयरटाइट कर लिया व 04 डिब्बों पर लेवल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के–2031** दर्ज किया प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया गया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2031** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलवद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2023/1562-63** दिनांक 30.10.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारककर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पेडा मिठाई(खुला) का नमुना **Food Containing extraneous matter due to added starch found present** होना पाया गया , भेजकर उक्त प्रकरण से संबधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जॉच रिर्पोट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक FSSA/2023/1562-63** दिनांक 30.10.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने का कोई आवेदन नहीं किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 04.01.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) **एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक FSSA/2023/393-94** दिनांक 09.01.2024 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **भूपेन्द्र पुत्र श्री परमानन्द सिंधी, (विक्रेता व मालिक), मैसर्स बाबा रामदेव मिष्ठान भण्डार, वार्ड नं. 06 तहसील रोड़, विजयनगर ने खाद्य पदार्थ पेडा मिठाई Food Containing extraneous matter due to added starch found present** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **54 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह सेखों उपस्थित हुए व बार बार मौका देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी का जबाब बंद किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस न करते हुए आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **पेडा मिठाई** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक LS.1613/Act/2023/1613 दिनांक** 13.10.2023 में खाद्य पदार्थ **पेडा मिठाई(खुला)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 54 का उल्लंघन करते हुए नमुना के–**2031 Food Containing extraneous matter due to added starch found present** पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 54** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर एक लाख रूपये तक शास्ति लगाये जाने का प्रावधान है। अतः अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **पेडा मिठाई** एवं रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक के मध्यक लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर **गैरसायलफर्म भूपेन्द्र पुत्र श्री परमानन्द सिंधी खाद्यकारोबारकर्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स बाबा रामदेव मिष्ठान भण्डार, वार्ड नं. 06 तहसील रोड़, विजयनगर, जिला अनूपगढ** रू 75,000 /– रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.24 को सुनाया गया।

25/10/24

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अनूपगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ

Scanned with OKEN Scanner